

राज्य-स्वामित्व वाली मीडिया हेतु चुनाव नियम

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दो वपिक्षी नेताओं ने एक राज्य-स्वामित्व वाले मीडिया चैनल पर चल रहे लोकसभा चुनावों के दौरान उनके भाषणों को सीमिति करने का आरोप लगाया।

- हालाँकि, प्रसार भारती के अधिकारी के अनुसार, टेलीविज़न और रेडियो नेटवर्क चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त दलों द्वारा राज्य मीडिया के उपयोग के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कर रहे थे।

राज्य-स्वामित्व वाले मीडिया का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों के लिये क्या नियम हैं?

- राज्य मीडिया पर समय का आवंटन:
 - वर्ष 1998 के लोकसभा चुनावों के बाद से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनावों के दौरान राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविज़न और रेडियो का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
 - चुनाव अभियान शुरू होने से पहले ECI प्रत्येक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल के लिये समय आवंटन तय करता है।
 - राष्ट्रीय दलों को सामूहिक रूप से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर न्यूनतम 10 घंटे और क्षेत्रीय चैनलों पर 15 घंटे मिलते हैं। उन्हें आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक-अप पर 10 घंटे और क्षेत्रीय आकाशवाणी स्टेशनों पर 15 घंटे भी दिये जाते हैं।
 - राज्य दलों को क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनलों और आकाशवाणी रेडियो स्टेशनों पर न्यूनतम 30 घंटे मिलते हैं।
- भाषण सामग्री पर दिशानिर्देश:
 - राजनीतिक दलों और वक्ताओं को संबंधित ऑल इंडिया रेडियो (All India Radio- AIR) और दूरदर्शन (Doordarshan- DD) अधिकारियों द्वारा अनुमोदन हेतु 3-4 दिनों पूर्व भाषण प्रतिलिख जमा करना होगा।
 - ECI के नषिधात्मक दिशानिर्देश:
 - अन्य देशों की आलोचना;
 - धर्मों या समुदायों पर वाक् हमला;
 - अश्लील या अपमानजनक वषिय-वस्तु;
 - हसिा भड़काना;
 - न्यायालय की अवमानना;
 - राष्ट्रपति और न्यायपालिका के वरिद्ध आक्षेप;
 - राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले कारक;
 - नाम लेकर व्यक्तियों की आलोचना करना

नोट:

- ECI ने वर्ष 2024 के चुनावों के लिये छह राष्ट्रीय दलों और 59 राज्य दलों को प्रसारण का समय आवंटित किया। राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर 4.5 घंटे मिले, बाकी 5.5 घंटे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके वोट शेयर के आधार पर मिले।

प्रसार भारती:

- यह वर्ष 1997 में प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक भी है।
- इसमें दो मुख्य वगि शामिल हैं:
 - ऑल इंडिया रेडियो (AIR): देशभर में स्टेशनों के वषिाल नेटवर्क वाला राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक।
 - दूरदर्शन (DD): राष्ट्रीय टेलीविज़न प्रसारक, जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय प्रोग्रामगि का मशिरण पेश करता है।
- AIR और DD पूर्व में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयाँ थीं।

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच-सदस्यीय नकाय है।
2. संघ का गृह मंत्रालय, आम चुनाव और उप-चुनावों दोनों के लयि चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. नरिवाचन आयोग मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलय से संबंधति वविद नपिताता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency- IAEA) ने परमाणु सुरक्षा पर अपना चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Nuclear Security- ICONS) शुरू करते हुए पछिले तीन दशकों में 4,200 से अधिक घटनाओं का हवाला देते हुए परमाणु और रेडियोधर्मी सामग्रियों की तस्करी के खिलाफ अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency- IAEA) क्या है?

- IAEA एक अंतरसरकारी संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतपूरण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहति किसी भी सैन्य उद्देश्य के लयि इसके उपयोग को रोकना चाहता है।
 - इसकी स्थापना वर्ष 1957 में संयुक्त राष्ट्र के अंतरगत वशिव की "शांतिके लयि परमाणु" संगठन के रूप में की गई थी और यह अपनी स्वयं की संस्थापक संधि- IAEA के कानून द्वारा शासति है।
 - यह UNGA व UNSC दोनों को रपौरट करता है और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वरिना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है।
 - वर्ष 2005 में, इसे एक सुरक्षति और शांतपूरण वशिव के लयि कयि गए काम के लयि नोबेल शांतिपुरस्कार से सम्मानति कयि गया था।
 - IAEA में 178 सदस्य देश हैं, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।
- परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Nuclear Security- ICONS):
 - वैश्वकि परमाणु सुरक्षा समुदाय के लयि, IAEA का परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (International Conference on Nuclear Security- ICONS) एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है।
 - ICONS 2024 ऑस्ट्रिया के वरिना में IAEA मुख्यालय में आयोजति कयि गया था, जहाँ परमाणु अपशष्टि के संबंध में नमिनलखिति चतिओं पर प्रकाश डाला गया था:
 - वर्तमान में 145 राज्य IAEA को परमाणु या रेडियोधर्मी सामग्रियों के खो जाने, चोरी हो जाने, अनुचति तरीके से नपिटान या उपेक्षति होने की घटनाओं की रपौरट करते हैं।
 - वशिव भर में चकितिसा सुवधिओं, शैक्षणकि संस्थानों और उद्योगों में वभिनिन रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग कयि जाता है।
 - मुख्य चति चरमपंथियों द्वारा "डर्टी बम (Dirty Bomb)" में रेडियोधर्मी सामग्री का उपयोग करना है, जो परमाणु बम से कम घातक होने के बावजूद शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भय उत्पन्न कर सकता है।

NUCLEAR WASTE AND ITS DISPOSAL

NUCLEAR POWER



435 NUCLEAR PLANTS WORLDWIDE
10,500 TONNES OF SPENT FUEL PER YEAR

As of 2019, nuclear power plants operate in 30 countries. Six countries have outright bans on use of nuclear reactors to generate electricity.



● Operating nuclear power plants ● Ban in place

10% OF THE WORLD'S ELECTRICITY

Nuclear fuel releases many times more energy per gram than fossil fuels. Nuclear plants don't release carbon dioxide while they are operating.

WHAT IS NUCLEAR WASTE?

About 3% of spent nuclear fuel consists of radioactive fission products. In some countries, the spent fuel is reprocessed to separate the waste from uranium and plutonium.

SPENT FUEL COMPOSITION



Radioactive waste contains unstable isotopes of elements which decay and emit alpha, beta or gamma radiation. Eventually they decay into non-radioactive elements.

HALF LIVES: UP TO 32 YEARS

Cs-137 Sr-90 Cm-243 Cm-244 Co-60

HALF LIVES: 460-24,000 YEARS

Th-229 Pu-239 Pu-240 Am-241 Am-243

HALF LIVES: 77,000-16,000,000 YEARS

Nb-94 I-129 Cs-135 Tc-99 Th-230 Np-237

As well as the radioactivity produced by nuclear waste, it also produces heat as isotopes decay. This poses issues for storage and disposal.

TYPES OF NUCLEAR WASTE

LOW LEVEL WASTE (LLW)

90% of all radioactive waste (by volume)
1% of the total radioactivity of all waste

LLW is defined as not exceeding 4 gigabecquerels per tonne (GBq/t) of alpha activity or 12 GBq/t of beta-gamma activity.

INTERMEDIATE LEVEL WASTE (ILW)

7% of all radioactive waste (by volume)
4% of the total radioactivity of all waste

ILW produces more radiation than LLW, but doesn't generate as much heat as HLW. It includes metal fuel cladding.

HIGH LEVEL WASTE (HLW)

3% of all radioactive waste (by volume)
95% of the total radioactivity of all waste

HLW is defined as producing more than 2 kilowatts per metre cubed of heat due to its radioactivity. It requires shielding during transport and cooling before permanent disposal. It includes used fuel and separated waste.

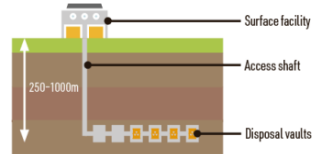
WASTE STORAGE & DISPOSAL

NEAR-SURFACE DISPOSAL



Low level waste's radioactivity is usually compacted into steel canisters and stored in concrete vaults underground. When full, vaults are sealed, covered and left. They ensure no significant radiation reaches the surface.

DEEP GEOLOGICAL DISPOSAL



Intermediate and high level waste generate heat and greater levels of radioactivity. Most countries plan to use deep geological disposal. The rock and soil acts as a barrier to the radiation. Before this, high level waste is incorporated into glass and stored for up to fifty years to allow heat to dissipate.



© Andy Brunning/Compound Interest 2020 - www.compoundchem.com | Twitter: @compoundchem | FB: www.facebook.com/compoundchem
This graphic is shared under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 licence.



सुरक्षित रेडियोधर्मी नरिवहन से संबंधित पहल:

■ अंतरराष्ट्रीय पहल:

- परमाणु दुर्घटना की पूर्व सूचना पर कन्वेंशन: यह वर्ष 1986 में [अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी \(International Atomic Energy Agency- IAEA\)](https://www.iaea.org/) द्वारा अपनाई गई एक संधि है। इसके अनुसार, सरकारों को ऐसी किसी भी परमाणु दुर्घटना की तत्काल सूचना देनी होगी जो अन्य देशों को प्रभावित कर सकती है।
- परमाणु सुरक्षा पर सम्मलेन (CNS) 1994: इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। CNS एक प्रोत्साहन-आधारित संधि है जिसके लिये राज्यों को परमाणु सुरक्षा के लिये एक नियामक ढाँचा स्थापित करने और इसे बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
- परयुक्त ईंधन प्रबंधन की सुरक्षा और रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन की सुरक्षा पर संयुक्त सम्मेलन, 2001: यह वैश्विक स्तर पर रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन को निर्धारित करने वाली पहली संधि थी। इसका उद्देश्य दुर्घटनाओं की रोकथाम और संभावित रेडियोलॉजिकल खतरों को कम करने के साथ-साथ परयुक्त ईंधन तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन की सुरक्षा निर्धारित करना है।

■ भारत की पहल:

- परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB): AERB भारत में परमाणु और विकिरण सुरक्षा के लिये नियामक निकाय के रूप में कार्य करती है। यह रेडियोधर्मी नरिवहन के उपायों सहित परमाणु सुविधाओं के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिये नियमों, दिशा-निर्देशों एवं मानकों को स्थापित कर उन्हें लागू करता है।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA): ऊर्जा संयंत्रों सहित परमाणु परियोजनाएँ पर्यावरणीय प्रभाव के सख्त आकलन के अधीन हैं। ये आकलन किसी परियोजना को मंजूरी देने से पूर्व रेडियोधर्मी अपशिष्ट के नरिवहन सहित संभावित पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों का भी

- **प्रवाह उपचार और तनुकरण (मंदन):** परमाणु सुविधाएँ नरिवहन से पूर्व तरल रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिये प्रवाह उपचार प्रणाली का उपयोग करती हैं। नरिवहन प्रक्रिया में रेडियोधर्मी पदार्थों की सांद्रता को कम करने के लिये प्रायः तनुकरण और प्रकीर्णन तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

?????????:

(a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का
(b) कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का
(c) कुछ वंदिशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा
(d) कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और अन्य नजी स्वामित्व वाले

(a) असैनिक परमाणु रिएक्टर आई. ए. ई. ए. के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं ।
 (b) सैनिक परमाणु अधिष्ठान आई. ए. ई. ए. के नरीक्षण के अधीन आ जाते हैं ।
 (c) देश के पास नाभिकीय पूरतकिरृता समूह (एन. एस. जी.) से यूरेनियम कूरय का वशिषाधकिार हो जाएगा ।
 (d) देश सवतः एन. एस. जी. का सदसूय बन जाता है ।

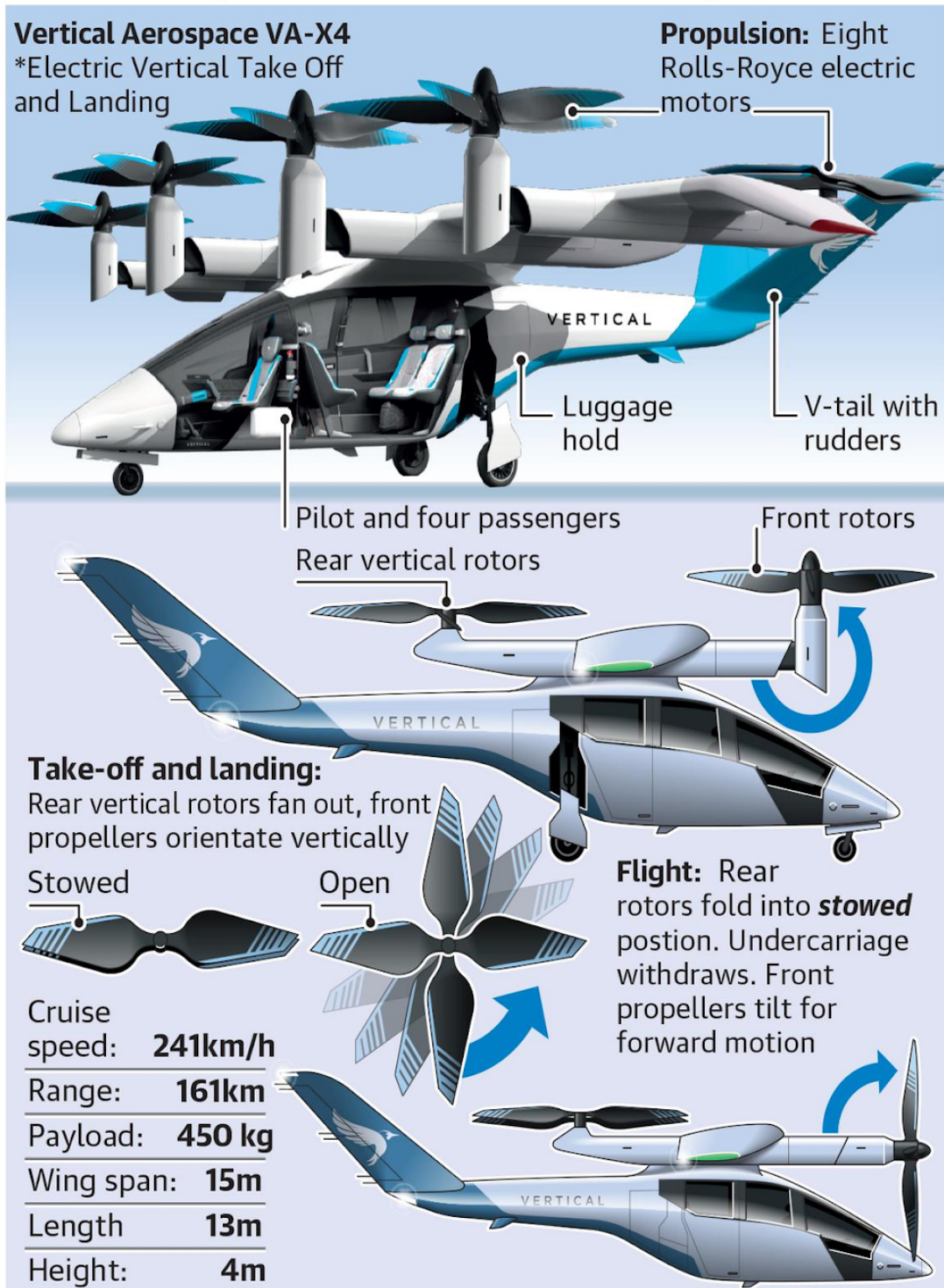
इलेक्ट्रिकि वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट

स्रोत: डाउन टू अर्थ

- eVTOL वमिन **VTOL एयरक्राफ्टों** का एक उपसमूह है जो ऊर्ध्वाधर रूप से मंडराने, उड़ान भरने और उतरने के लिये वदियुत शक्त का उपयोग करता है। **पारंपरिक एयरक्राफ्टों** के वपिरित, **eVTOL एयरक्राफ्टों** को **रनवे की आवश्यकता नहीं होती है**, जो उन्हें शहरी वातावरण के लिये आदर्श बनाता है जहाँ स्थान सीमति होते हैं।
- eVTOL तकनीक न्यूनतम खरखवा और परचालन खरच के साथ **दैनिक आवागमन, कार्गो डलिवरी एवं आपातकालीन समय** के लिये यातायात समाधान प्रदान करती है। इसका उपयोग **भीड़-भाड़ वाले शहरी कषेत्रों में प्रीमियम और आपातकालीन सेवाओं** के लिये किया जा सकता है।
 - यह हेलीपैड जैसे वसितृत बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है और 200 कमी/घंटा की गति से उड़ान भर सकता है।
- **भारतीय नवाचार:** भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास-इनक्यूबेटेड ई-प्लेन कंपनी बंगलूरू में ई-फ्लाईंग टैक्सियाँ लॉन्च करने की योजना बना रही है, जसि **नागर वमिनन महानदशलर (Directorate General of Civil Aviation- DGCA)** की सवीकृत का इंतज़ार है।
 - वैश्वक सृतर पर हुए eVTOL सुधार अत्यंत उत्साहजनक हैं, लेकन **भारत में इससे संबंधति परभाषति नीतिका अभाव है।** प्रभावी एकीकरण के लिये **सहयोग, मार्ग योजना और हवाई यातायात नयितरण** की आवश्यकता होती है।

What are electric aircraft?

The Union Aviation Minister while speaking at the seventh edition of the India Ideas Conclave in Bengaluru, stated that India is in 'conversation' with a number of eVTOL producers. But how are Electric Vertical Take off and Landing aircraft structured? And what are they capable of ?



Sources: Vertical Aerospace, Future Flight, Business Wire Picture: Vertical © GRAPHIC NEWS

और पढ़ें: [इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग \(eVTOL\) एयरक्राफ्ट](#)

राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री के लिये मटेरियल इनक्यूबेशन सेंटर

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स-इनक्यूबेशन सेंटर (NCB-IC) का उद्घाटन संयुक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग' (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया।

- NCB-IC में व्यावसायीकरण हेतु बाज़ार के लिये तैयार उत्पादों के विकास और सुधार के लिये इनक्यूबेटी स्टार्टअप/उद्यमियों को NCB के वैज्ञानिकों और सीमेंट एवं नरिमाण सामग्री उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जाएगी।
- DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1,36,584 हो गई है।

राष्ट्रीय सीमेंट और भवन नरिमाण सामग्री परषिदः

- यह DPIIT के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संगठन है।
- NCB सीमेंट, संबद्ध नरिमाण सामग्री और नरिमाण उद्योगों हेतु अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण, शिक्षा एवं औद्योगिक सेवाओं के लिये समर्पित है।

और पढ़ें: [राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022](#)

कैंसर की दवाएँ टसिलेज़िमुब और ज़ानुब्रुटिनिबि

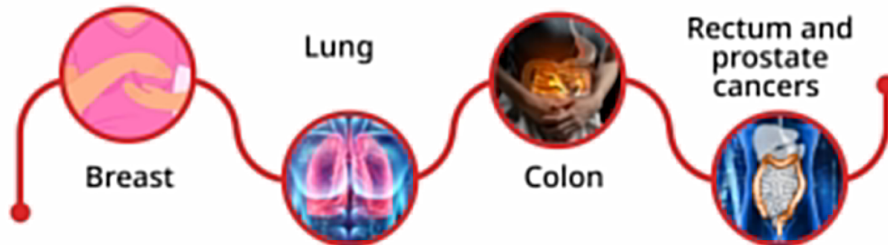
स्रोत: द हिंदू

भारत को टसिलेज़िमुब (Tislelizumab) और ज़ानुब्रुटिनिबि (Zanubrutinib) नाम की दो नई कैंसर दवाएँ प्राप्त होने वाली हैं।

- टसिलेज़िमुब, एक नई इम्यूनोथेरेपी दवा, उन्नत एसोफेजियल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा (कैंसर जो अन्नप्रणाली के अंदर की पतली, सपाट कोशिकाओं में बनता है) के इलाज में प्रभावी शक्ति दिखा रही है।
- ज़ानुब्रुटिनिबि नामक दवा ब्रूटन टायरोसिनि कीनेज़ (Bruton's Tyrosine Kinase- BTK) नामक प्रोटीन को नियंत्रित करती है, जो कुछ कैंसरग्रस्त रक्त कोशिकाओं के विकास और अस्तित्व के लिये आवश्यक है।
 - इसे वशिष्ट प्रकार के रक्त कैंसर के उपचार के लिये अनुमोदित किया गया है।
- यह कैंसर रोगों के एक समूह को संदर्भित करता है जो शरीर में असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित प्रसार से होता है, जो स्वस्थ ऊतकों और अंगों में नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- वर्ष 2019 में भारत में 1.2 मिलियन कैंसर के नए मामले और लगभग 930,000 मौतें हुईं, जिससे यह उस वर्ष एशिया में इस बीमारी में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता बन गया।
 - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार, देश में कैंसर के मामले वर्ष 2022 में 14.6 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख होने का अनुमान है।

Cancer is a leading cause of death worldwide, accounting for nearly 10 million deaths in 2020, or nearly 1 in 6 deaths.

Most Common Cancers



Around 1/3rd of deaths from cancer are due to-



- Cancer-causing infections, such as human papillomavirus (HPV) and hepatitis, are responsible for approximately 30% of cancer cases in low-and lower-middle-income countries.
- Many cancers can be cured if detected early and treated effectively.

और पढ़ें: [कैंसर का वैश्विक प्रभाव: WHO ।](#)

IMD की कलर कोडेड चेतावनियाँ

[स्रोत: द हद्रि](#)

केरल में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए [भारत मौसम वजिज्ञान बभाग](#) (India Meteorological Department- IMD) द्वारा कई ज़िलों के लिये कलर कोडेड चेतावनियाँ जारी की हैं ।

- **IMD** ऐसे गंभीर या खतरनाक मौसम के बारे में लोगों को सचेत करने के लिये [कलर कोडेड चेतावनियाँ](#) जारी करता है जो क्षति, व्यवधान या जीवन के लिये खतरा उत्पन्न कर सकता है ।
 - यह मौसम की गंभीरता के आधार पर **4 कलर कोडेड चेतावनियाँ** का उपयोग करता है, जो इस प्रकार हैं: **ग्रीन** (हरा), **येलो** (पीला), **ऑरेंज** (नारंगी)/**एम्बर** और **रेड** (लाल) ।

	NO SEVERE WEATHER EXPECTED Keep up to date with latest forecast
	BE AWARE Remain alert and keep up to date with latest forecast
	BE PREPARED Remain vigilant, keep up to date with latest forecast and take precautions where possible
	TAKE ACTION Remain extra vigilant, keep up to date with latest forecast. Follow orders and any advice given by authorities and be prepared for extraordinary measures

- IMD की स्थापना वर्ष 1875 में भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences) की एक एजेंसी के रूप में की गई थी।
 - यह मौसम संबंधी अवलोकनों, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान संबंधी अध्ययन हेतु उत्तरदायी है।
 - इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
 - IMD [वर्ल्ड मौसम विज्ञान संगठन](#) (World Meteorological Organization) के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।

और पढ़ें: [IMD द्वारा मौसम का अनुवीक्षण](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/prelims-facts/24-05-2024/print>